न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
2020/00901	02.10.2021	24.09.2025

बउनवान

01. दिनेश चन्द पुत्र रामकिशोर निवासी मालाखेडा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर

प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार तहसीलदार भू0अ0 मालाखेडा जिला अलवर राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं 771 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 615 सम्वत् 2038 में प्रार्थी का अपने भाई बनवारी लाल पुत्र रामकिशोर समभाग 1/3 दर 1/2 इंद्राज चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियो ने विधि विरूद्व तरीके से बंदोबस्त सम्वत् 2051 में तैयार जमाबंदी खाता संख्या–591 में प्रार्थी का नाम कलमजन कर प्रार्थी के भाई बनवारी लाल पुत्र रामकिशोर को वादग्रस्त आराजी हिस्सा 1/3 दर 1/2 दर्ज व अंकित कर दिया गया। उक्त आराजी के हाल खसरा संख्या 1527 रकबा 0.13 हैक्टेयर खाता संख्या 791 वाके ग्राम मालाखेडा अंकित हुआ यह इंद्राज मौके व साबिक रिकॉर्ड के विपरित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा संख्या 771 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम मालाखेडा, तहसील मालाखेडा जिला अलवर के 1/3 हिस्सा दर 1/2 में जमाबंदी बंदोबस्त सम्वत् 2051 में प्रार्थी के नाम को दुरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी की बाबत् हिस्सा 1/3 दर 1/2 दर्ज किये जाने का अहकाम जारी किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2038 की प्रमाणित प्रतिलिपि, सैटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2070 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 प्रमाणित प्रतिलिपि, शपथ पत्र बनवारी पुत्र रामकिशोर निवासी मालाखेडा पेश किया गया।

पत्रावली मे तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मालाखेडा के पत्र क्रमांक/भू.अ./2021/4784 दिनांक 04.08.2021 के अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2038 के हाल जमाबंदी खाता संख्या 818 में बनवारी लाल हिस्सा 1/12 दिनेश चन्द

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

हिस्सा 1/12 पि. रामकिशोर जाति ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार शुद्ध किया जाना उचित होगा।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया कि जमाबंदी सम्वत्2038 खाता संख्या 615 आराजी खसरा संख्या 771 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम व तहसील मालाखेडा खातेदार दिनेश चन्द बनवारी लाल पि. रामकिशोर समभाग 1/3 दर 1/2 हिस्सा अंकित है, इसी प्रकार मिसल हकियत सम्वत् 2051 खाता संख्या 591 आराजी खसरा संख्या 1527 रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके ग्राम व तहसील मालाखेडा में बनवारी लाल पि. रामकिशोर हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/2 ब्रा0 दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075 खाता संख्या 318 आराजी खसरा संख्या 1527 रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके ग्राम व तहसील मालाखेडा बनवारी लाल पुत्र रामकिशोर हिस्सा 1/6 जाति ब्रा0 सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी सम्वत् 2038 में विवादित आराजी का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड था किन्तु आगामी जमाबंदी में प्रार्थी के हिस्से खातेदारी का अमल होने से रह गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2075 खाता संख्या नया 170, पुराना खाता संख्या 818 खसरा संख्या 1527 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा में बनवारीलाल पि. रामकिशोर हिस्सा 1/6 कलमजन किया जाकर बनवारीलाल पि. रामकिशोर हिस्सा 1/12 तथा दिनेश चन्द पि. रामकिशोर हिस्सा 1/12 दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)